

उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण पत्र

सी.सी.पी.ई.

सत्रीय कार्य
जनवरी, 2026 आर जुलाई, 2026

विधि विभापीठ



इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068

**उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण पत्र
(सी.सी.पी.)**

प्रय विद्यार्थी,

विश्वविद्यालय का निर्धारित दिशा.निर्देशों का अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपका एक सत्रीय कार्य पूरा करना है।

आप पाएंगे कि सत्रीय कार्य में दिए गए प्रश्न विश्लेषणात्मक (दंसलजपबंस) और वर्णनात्मक (कमेबतपचजपअम) हैं ताकि आप अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जान और समझ सकें।

यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। स्मरण रह कि सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा और आप सत्रांत परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

सत्रीय कार्य जमा कराना

आपका अपने अध्ययन केंद्र का संचालक (ब.वतकपदंजवत) का पास सत्रीय कार्य जमा कराना है। आपका जमा कराए गए सत्रीय कार्य के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य लेनी चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए। आप जो सत्रीय कार्य जमा कराएं, कृपया उसकी फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें।

मूल्यांकन करने के बाद, अध्ययन केंद्र आपका सत्रीय कार्य लौटा देगा। कृपया जांचे गए सत्रीय कार्य के लिए आग्रह कीजिए। अध्ययन केंद्र इग्नू स्थित विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, नई दिल्ली का अंक भेजेगा।

आपका अपने अध्ययन केंद्र में नीचे लिखे अनुसार सत्रीय कार्य जमा कराना है

जनवरी के लिए 30 अप्रैल, 2026

जुलाई के लिए 30 सितम्बर, 2026 तक

सत्रीय कार्य करने के लिए दिशा.निर्देश

हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्रीय कार्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। आपका इसका लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा

- 1) **योजना** से सत्रीय कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन इकाइयों का अध्ययन कीजिए जिन पर वे आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ बिंदु तैयार कीजिए और फिर उन्हें तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

- 2) **आयोजन रू** अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार करने से पहले थोड़ा चयन और विश्लेषण कीजिए। प्रश्न की प्रस्तावना (परिचय) और निष्कर्ष पर पर्याप्त ध्यान दीजिए।

यह सुनिश्चित कर लें कि रू

क) उत्तर तर्कसंगत और उपयुक्त है।

ख) वाक्यों और पैराग्राफों का स्पष्ट मेल है। ग) आपकी अभिव्यक्ति में प्रस्तुतकरण सही है।

- 3) **प्रस्तुतिकरण रू** एक बार अपने उत्तर **रू** संतुष्ट हानं पर आप सत्रीय कार्य जमा कराने के लिए अंतिम रूप (पाठ) लिख सकत हैं। **अपना लिखाई में रू सत्रीय कार्य स्पष्ट रूप रू लिखना अनिवार्य है।** यदि आप ऐसा चाहत हैं ता आप जिन बिन्दुओं पर जात देना चाहत हैं, उनका रेखांकित कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में हाना चाहिए।

सुकामनाओं के साथ

कार्यक्रम संचालक (सी.सी.पी.)

सी.पी.आइ 103रु उपभोक्ता संरक्षण मुद्दे

पाठ्यक्रम कोड रु सी.पी.आईदृ103 सत्रीय कार्य कोड रु सी.
पी.आईदृ103/टीएमए/2022

कल अंक रु 100

सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए।

अंक

1. 1985, 1999 और 2015 के यू.के. उपभोक्ता संरक्षण दिशा-निर्देशों (र.ज़. ब्वदेनउमत च्त्वजमबजपवद ळनपकमसपदमे) की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। (10)
2. उपभोक्ता के कर्तव्यों की सविस्तार चर्चा कीजिए। (10)
3. विभिन्न बीमा दावों को करने की प्रक्रिया और औपचारिकताओं पर विस्तार से चर्चा करें। (10)
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ और प्रारूपों का वर्णन कीजिए। (10)
5. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (10)
6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए निवारण तंत्रों पर चर्चा कीजिए। (10)
7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत वी. कृष्णा कुमार बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 8065 वर्ष 2009) के मामले के कानून पर चर्चा कीजिए। (10)
8. भारत में उपभोक्ता अधिकारों के संवैधानिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। (10)
9. माल (goods) से संबंधित महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण निर्णयों की चर्चा कीजिए। (10)
10. लघु टिप्पणी लिखिएरु
(क) उपभोक्ता समस्याएँ (05)
(ख) दवा और कॉस्मेटिक्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण (05)